

### D.T.C. Bus Service

437. SHRI BRIJ BHUSHAN TEWARI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the deteriorate bus service provided by the Delhi Transport Corporation to the residents of Sarojini Nagar on Route No. 50 plying between Sarojini Nagar and Central Secretariat/Regal; and

(b) if so, what steps the Government contemplate to remove the hardship faced by the Government servants in particular and the public in general?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) Yes, Sir. There have been some complaints of irregular operation of the bus services on this route.

(b) The service on the route is being operated by N.D.M.C., with its own buses, under an agreement with the Delhi Transport Corporation. The Transport Controller of that Committee has been requested by the Corporation to take immediate steps to regularise the service.

DTC is also operating its own bus services which pass via Sarojini Nagar and run up to Central Secretariat/Plaza/Connaught Circus.

आपातकाल के दौरान जन प्रचार के साधनों का दुरुपयोग करने के बारे में एक सदस्यीय समिति का गठन

438. श्री उपसेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आपातकाल के दौरान जन प्रचार साधनों का दुरुपयोग करने और उनकी जांच करने के लिये एक श्वेत-पत्र तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति

द्वारा किये गये कार्य की प्रगति क्या है और इस बारे में धागे की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री ( श्री लाल कृष्ण अडवानी ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के: भूतपूर्व सचिव श्री के० के० दास, आई० सी० एस० (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में 21 मई, 1977 को घापात स्थिति के: दौरान

(क) सेंसर उपबन्धों का दुरुपयोग ;

(ख) पत्रकारों का उत्पीड़न ;

(ग) फिल्मों को प्रमाणीकृत करने के बारे में आरोप ;

(घ) जन संपर्क माध्यमों तथा समाचार एजेंसियों का स्वार्थ साधन के लिये उपयोग ; और

(ङ) अन्य प्राथमिक मामलों

से संबंधित जन संपर्क के: माध्यमों के: दुरुपयोग के बारे में जांच करने और ऐसे तथ्य एकत्रित करने के: लिये एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी जिनके: आधारे पर सरकार एक श्वेत-पत्र तैयार करेगी। उक्त समिति के: बारे में 21 मई, 1977 को एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिनमें: जनता और संस्थाओं से यह निवेदन किया गया था कि वे अपनी खास शिकायते, पूर्ण विवरण सहित, इस मंत्रालय में निदेशक (सतर्कता) को 5 जून, 1977 तक भेज दें। प्रेस नोट में यह भी कहा गया था कि शिकायते उक्त तिथि तक भेजना बहुत जरूरी है ताकि श्वेत-पत्र संसद् के बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने के: लिये समय पर तैयार किया जा सके।

2 प्रेस नोट के: बाद एक विज्ञापन व्यापक रूप से देश भर के: राष्ट्रीय समाचारपत्रों तथा प्रादेशिक और भाषायी समाचारपत्रों